(viii) Rewards are given to informers for gathering intelligence regarding illegal trade and smuggling of wildlife products.

(ix) A Committee set up by this Ministry to look into issues related to illegal trade in wildlife and wildlife products has recommended specific measures to deal with this problem and these are being followed up with the States for implementation.

(x) Regional and sub-regional offices of Wildlife Preservation have been set up mainly at the major export centres of the country to prevent illegal trade and smuggling of wildlife products.

राष्ट्रीय महिला कोष से लाभान्वित महिलाएं

***147. श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) वर्ष 1994 के दौरान और अब तक प्रत्येक वर्ष के अनुसार गुजरात के प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय महिला कोष से कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं और कितने महिला संगठनों को ऋण दिये गये।

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान और अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए आगामी वर्षों में कोष के क्रियाकलापों को बढ़ाने हेतु सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई): (क) राष्ट्रीय महिला कोष को 1993-94 में गुजरात से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। 1994-95 में पांच गैर-सरकारी संगठनों से आवेदन किया, जिनमें से तीन संगठन कोष द्वारा निर्धारित मापदण्ड को पूरा नहीं करते थे। दो गैर-सरकारी संगठनों को ऋण दिया गया, जो 570 लाभार्थियों के लिए था। 1995-96 में, एक गैर-सरकारी संगठन, जिसने आवेदन किया था, को 25 स्व-सहायता दल बनाने के लिए ऋण दिया गया। 1996-97 में अब तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय महिला कोष का मुख्य बल इसकी पहुंच को बढ़ाना है, ताकि इसके अन्तर्गत कम औपचारिक ऋण प्रणाली का लाभ यथासम्भव कम अवधि में अधिकतम लाभार्थियों को पंहुचाया जा सके। चूंकि, ऋण देने में राष्ट्रीय महिला कोष की मुख्य कठिनाई ऋण प्रबन्धन में अनुभवी गैर-सरकारी संगठनों की कमी है, इसलिए ऋण प्रबन्धन कौशल में गैर-सरकारी संगठनों को प्रशिक्षित करने और बड़े अनुभवी गैर-सरकारी संगठनों को ऋण प्रदान करके छोटे कम अनुभवी संगठनों को आगे ऋण देने की अनुमति प्रदान करने की नई स्कीमें शुरू की गई हैं। इस प्रकार छोटे कम अनुभवी संगठन भी प्रशिक्षित हो जाएगें। ये संवर्धनात्मक स्कीमें हैं:-

(1) संसाधन गैर-सरकारी संगठन स्कीम:-इसका उद्देश्य अनुभवी गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से छोटे संगठनों के प्रशिक्षण का विधियन करना है। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षित संगठन ऋण और बचत प्रबन्धन में 3 वर्ष के अनुभव के बिना राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

(2) छत्र स्कीम:-बचत और ऋण में अपेक्षित अनुभव से कम अनुभव वाले छोटे गैर-सरकारी संगठन जिन्होंने अन्य क्षेत्रों में कार्य किया हो, छात्र गैर-सरकारी संगठन की सिफारिश पर राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

(3) नोडल एजेंसी स्कीम:- कोष की पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष ने चुनिन्दा राज्य स्तरीय महिला विकास निगमों, इन्दिरा महिला ब्लाक समितियों और गैर-सरकारी संगठनों को आगे ऋण देने और मार्ग दर्शन करने संबंधी कार्यकलापों में शामिल करने का निर्णय लिया है।

(4) जागरूकता शिविर:-इसके अन्तर्गत महिलाओं के लिए जागृति विकास शिविर आयोजित करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को राशि प्रदान की जाती है, जो अन्य बातों के अलावा, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतन्त्रता के एक साधन के रूप में बचत के महत्व को उजागर करते हैं।

Vehicles without Catalytic Converters

*148. SHRI MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the number of already registered vehicles in four metropolitan cities which do not and